

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

सं० :- 03/भू0अ0नि0(4)संविदा(आरोप)सीतामढ़ी-01/2024/6154 पटना, दिनांक :- 03/09/2025

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 1304 दिनांक 01.12.2023 द्वारा सुश्री पायल कुमारी, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (ASO00094) के विरुद्ध कार्यों में अनियमितता बरतने, विधि एवं नियमों के विपरीत कार्य करने, वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने, निर्धारित समय सीमा में कार्य करने में विफल रहने एवं अनाधिकृत अनुपस्थित रहने का आदि होने के साथ कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।


प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 518 दिनांक 29.01.2024 द्वारा सुश्री पायल से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के विरुद्ध 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसका प्रतिउत्तर इनके द्वारा दिया गया है। स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा शिविर बथनाहा-02 में 30 राजस्व ग्रामों में से 17 राजस्व ग्राम का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है, शेष 13 मौजों में से 07 मौजा का खानापूरी समाप्त कर लिया गया है शेष मौजों का भी कार्य एक महीने में समाप्त कर लिया जाएगा। साथ ही उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा पूरी लगन से नियम/विधि के तहत निर्धारित समय सीमा में सर्वेक्षण कार्यों को पूरा करती आयी हैं। साथ ही साथ प्रथम गलती समझ कर माफ करने एवं स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

सुश्री पायल से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 1308 दिनांक 11.03.2024 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से स्पष्ट मंतव्य सहित अनुशंसा की मांग की गयी। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 375 दिनांक 25.04.2024 द्वारा प्राप्त मंतव्य पूर्व में प्रतिवेदित अनुशंसा से विपरीत रहने के फलस्वरूप पुनः निदेशालय पत्रांक 13628 दिनांक 05.09.2024 एवं अंतिम स्मार पत्रांक 3608 दिनांक 16.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की समीक्षा कर मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 619 दिनांक 20.06.2025 द्वारा मंतव्य प्रेषित किया गया।

बंदोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य है कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर बथनाहा शिविर के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों का कार्य नहीं किए जाने के कारण इनके मानदेय की कटौती की गयी थी। साथ ही उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्यों में प्रगति लाने, भविष्य में सुधार हेतु सचेत रहने तथा कार्य संस्कृति में सुधार लाने का आश्वासन दिया गया था। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि तत्कालीन शिविर प्रभारी के स्थानान्तरण के पश्चात् बथनाहा शिविर के विभिन्न राजस्व ग्रामों में याददाश्त पंजी, खेसरा पंजी एवं प्रपत्र-14 के अन्तर्गत दावा आपत्ति की सुनवाई एवं आदेश लेखन कार्य नियमानुकूल निष्पादन करने का बार-बार निदेश दिए जाने के बाद भी इनके द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लायी गयी है। साथ ही साथ यह भी की बथनाहा शिविर के औचक निरीक्षण में शिविर में उपस्थित आम रैयतों से पूछ-ताछ करने पर बताया गया कि शिविर प्रभारी प्रायः अनुपस्थित रहती हैं, जिसके कारण रैयतों का कार्य बाधित होता है एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं मंतव्य तथा प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया है कि सुश्री पायल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप/मंतव्य से विपरीत है। चूंकि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समीक्षा बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की जाती है, फलस्वरूप बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा समीक्षोपरांत इनके सरकारी कार्य संस्कृति में सुधार नहीं होने एवं बार-बार दिए गए निदेश के बावजूद भी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के कारण संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।


अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के नियम-8(4) के तहत सुश्री पायल कुमारी, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (ASO00094) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।


(जे० प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(4)संविदा(आरोप)सीतामढ़ी-01/2024⁶²⁵⁴ पटना, दिनांक ^{03/09/2025}
प्रतिलिपि :- सुश्री पायल कुमारी, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (ASO00094), बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(4)संविदा(आरोप)सीतामढ़ी-01/2024⁶²⁵⁴ पटना, दिनांक ^{03/09/2025}
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(4)संविदा(आरोप)सीतामढ़ी-01/2024⁶²⁵⁴ पटना, दिनांक ^{03/09/2025}
प्रतिलिपि :- संबंधित प्रोग्राम, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण